प्रेस नोट दिनांक- 10.09.2024 जनपद प्रतापगढ़

1- थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़-

-एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

-अन्तर्गत धारा 419, 420, 406, 465, 468, 467, 471, 120बी भादवि में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

-कूटरचित दस्तावेज/खतौनी के आधार पर जमीन का फर्जी बैनामा के मामले में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

-थाना रानीगंज पुलिस द्वारा थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत शेखूपुर जाने वाली मेन रोड से वांछित 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

आरोपीगण द्वारा फर्जी कूटरचित दस्तावेज व खतौनी के आधार पर धोखाधड़ी कर जमीन का फर्जी बैनामा का झांसा देकर पैसा हड़पने के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्ता सुधा तिवारी पत्नी राकेश तिवारी निवासिनी ग्राम देवगढ़ कमासिन थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को शेखूपुर जाने वाली मेन रोड़ से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण से प्रभारी निरीक्षक रानीगंज आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 10.09.20024 को उ0नि0 अश्वनी कुमार पटेल मय हमराह प्र0शिक्षु0 म0उ0नि0 दीपाली, म0का0 स्वाती वर्मा, का0 अमीष कुमार प्रजापति, चा0 का0 आयुष यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 245/24 धारा 419, 420, 406, 465, 468, 467, 471, 120बी भादवि में वांछित अभियुक्ता सुधा तिवारी पत्नी राकेश तिवारी निवासिनी ग्राम देवगढ़ कमासिन थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत शेखूपुर जाने वाली मेन रोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम-

1- सुधा तिवारी पत्नी राकेश तिवारी निवासिनी ग्राम देवगढ़ कमासिन थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम –

उ0नि0 अश्वनी कुमार पटेल मय हमराह प्र0शिक्षु0 म0उ0नि0 दीपाली, म0का0 स्वाती वर्मा, का0 अमीष कुमार प्रजापति, चा0 का0 आयुष यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

2- थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

–पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

–दुष्कर्म,धमकी देने, गाली गलौच के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

–थाना सांगीपुर पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत अमावा बार्डर के पास से वांछित 01अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण-

वादिनी मुकदमा की पुत्री के साथ आरोपीगणों द्वारा दुष्कर्म/धमकी देने, गाली गलौच करने के प्रकरण में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर पर अन्तर्गत धारा 376(डी),504,506 भादवि बनाम 03 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज, रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सांगीपुर मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 रोहित कुमार, का0 खेमचन्द श्रीवास, चा0 का0 संदीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 376(डी),504,506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त मो0 अरमान पुत्र मो0 साकिर अली उर्फ सरवर निवासी ग्राम पुरवारा जलेशरगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अमावा बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो0 अरमान पुत्र मो0 साकिर अली उर्फ सरवर निवासी ग्राम पुरवारा जलेशरगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष सांगीपुर मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 रोहित कुमार, का0 खेमचन्द श्रीवास, चा0 का0 संदीप कुमार थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

3-थाना हथिगवां, जनपद- प्रतापगढ़

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
-मारपीट, हत्या के प्रयास के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार
-थाना हथिगवां पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत मोहद्दीनगर चौराहे के पास से 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.07.2024 को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सोनई का पुरवा मजरे बेंती निवासी वादी के भाई के साथ आरोपीगणों द्वारा एकराय होकर जान लेने के नियत से लाठी, डण्डो से मारपीट करने आदि आरोपों में वादी की

प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 138/24 धारा 115(2), 352, 351(2), 109 बी0एन0एस0 बनाम 03 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्याम बिहारी सिंह मय हमराह का0 मानवेन्द्र सिंह राजपूत, का0 पवन कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 138/24 धारा 115(2), 352, 351(2), 109 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त रामराज यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी ग्राम सोनई का पुरवा मजरे बेंती थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र हथिगवां के क्षेत्रान्तर्गत मोहद्दीनगर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- रामराज यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी ग्राम सोनई का पुरवा मजरे बेंती थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्याम बिहारी सिंह मय हमराह का0 मानवेन्द्र सिंह राजपूत, का0 पवन कुमार थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

4-थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

–पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

–थाना लालगंज पुलिस द्वारा चोरी करने की योजना से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

–थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 अदद कटर, 01 अदद चाबी के गुच्छा, 04 अदद अवैध सुतली बम के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

–थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत शिवबक्श की पुलिया के पास से 02अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार
प्रतापगढ़।

दिनांक 09.09.2024 की रात्रि में थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत शिवबक्श की पुलिया के पास से लूट करने की योजना बनाते समय 02 आरोपीगणों को 01 अदद कटर, 01 अदद चाबी के गुच्छा, 04 अदद अवैध सुतली बम के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0- 383/2024 धारा 312,313 बीएनएस व 4 /5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम 02 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह का0 विशाल यादव, का0 संजय द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर चोरी करने की योजना बनाते समय थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत शिवबक्श की पुलिया के पास से 02 आरोपीगणों 1- धीरज गुप्ता उर्फ विक्रम पुत्र हरिश्चन्द्र गुप्ता निवासी

ग्राम सलेम भदारी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़, 2- प्रकाश उर्फ तूफान पुत्र भोलानाथ वर्मा निवासी ग्राम सलेम भदारी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद कटर, 01 अदद चाबी के गुच्छा, 04 अदद अवैध सुतली बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0- 383/2024 धारा 312,313 बीएनएस व 4 /5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण –

1- धीरज गुप्ता उर्फ विक्रम पुत्र हरिश्चन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम सलेम भदारी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

2- प्रकाश उर्फ तूफान पुत्र भोलानाथ वर्मा निवासी ग्राम सलेम भदारी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ विवरण- पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग आसपास के क्षेत्र में रैकी कर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। हम लोगो द्वारा इस कटर से ताला काट कर चोरी करते है और बम को लोगों में भय पैदा करने के उद्देश्य से अपने साथ रखते है। आज हम लोगों द्वारा चोरी की योजना बनाई जा रही थी कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिये गये।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह का0 विशाल यादव, का0 संजय थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बयानः- अपराध में संलिप्त अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य करती है, प्रतापगढ़ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्यवाही करने के लिए कटिबद्ध है।

5-थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

—एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

—अभियुक्त के कब्जे 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

—अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत

—थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोपालपुर से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
प्रतापगढ़।

दिनांक 10.09.2024 को थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान 01 अवैध तंमचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त सहनवाज आलम को ग्राम गोपालपुर से गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत *अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी आनन्द कुमार राय

के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी/ संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का अभियान जारी है।

इसी क्रम में दिनांक 10.09.2024 को थाना दिलीपपुर के उ0नि0 जगदीश प्रसाद वर्मा मय हमराह उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि सोशल मीडिया में वायरल व्यक्ति जो अवैध असलहा के साथ है, गोपालपुर पुल के पास है। सूचना पर तत्काल उ0नि0 जगदीश प्रसाद वर्मा मय हमराह द्वारा ग्राम गोपालपुर से 01 व्यक्ति को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया तथा थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 157/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सहनवाज आलम उर्फ शानु पुत्र समसाद अली निवासी ग्राम यहियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1- सहनवाज आलम उर्फ शानु पुत्र समसाद अली निवासी ग्राम यहियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम –

उ0नि0 जगदीश प्रसाद वर्मा मय हमराह उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा, का0 लक्ष्मण सिंह थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

6- थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

-एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार

-वांछित, वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कुण्डा पुलिस द्वारा दी जा रही है दबिश

-वारण्टी अभियुक्त राजकुमार निर्मल को उ0नि0 गिरीशधर दुबे द्वारा किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी व क्षेत्राधिकारी कुण्डा अजीत सिंह के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा से उ0नि0 गिरीशधर दुबे मय हमराह का0 सुशील पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/वांछित वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान, मु0नं0- 88/21 धारा 128 सीआरपीसी से संबंधित 01 वारण्टी राजकुमार निर्मल पुत्र दीपकलाल निवासी ग्राम सुजौली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को सुजौली चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।